

कार्यालय  
पत्रांक-डी0डी0/फा0स0/मेरठ-16(मेरठ)/863  
सेवा में

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर  
दिनांक: दिसम्बर 13 2018  
परिक्षेत्र।

प्रबन्धक/स्वामी  
मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल,  
खसरा नं0-162, ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ, तहसील मवाना,  
जनपद मेरठ।

विषय: मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं0-162, ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ, तहसील मवाना जिला मेरठ में संचालित शैक्षणिक भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी 2018/26120/एमआरटी/मेरठ/518/डी0डी0।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछनीय अभिलेखों को प्रस्तुत कर प्रश्नगत भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ से किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक: 06-12-2018 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 07-12-2018 इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-  
भवन की संरचना:-कुल प्लाट एरिया-6788.00 वर्ग मी0 है। जिसमें निर्मित भवन का फ्लोरवाइज एरिया विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	तलों का विवरण	निर्मित कवर्ड एरिया वर्ग मी0।
1	भूतल एवं प्रथम तल	1694.65 प्रत्येक।
2	भवन की ऊँचाई-07.45 मीटर।	

भवन का अधिभोग एवं हैजार्डस श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के अनुसार एजुकेशनल भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

दोआगत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24.00 मीटर चौड़ा रोड उपलब्ध है तथा प्रवेश द्वार जिसकी चौड़ाई 07.66 मी0 मानको के अनुसार उपलब्ध है।

2-सेटबैक:- प्रश्नगत भवन के सेटबैक भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार

ए0-अग्रभाग-09.00 मीटर,

बी0-पृष्ठ भाग-06.00 मीटर,

सी0-पार्श्व-प्रथम-06.00 मीटर,

डी0-पार्श्व-द्वितीय-06.00 मीटर

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक को सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमान्य नहीं होगा।

3-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 03 अदद स्टेसरकेस जिनकी क्रमशः चौड़ाई 01.85 मी0 प्रत्येक निर्मित है। तथा भवन के समस्त स्थानों से ट्रेवलिग डिस्टेन्स मानको के अनुरूप अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है

अग्निसुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 एवं ततसम्बन्धी बी0आई0एस0-3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ स्थापित है।

(अमन शर्मा)  
उप निदेशक फायर अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित है।

2-फायर बकेट:- प्रश्नगत भवन में फायर बकेट मय स्टैण्ड मानको के अनुसार स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ की संस्तुति आख्याओं के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स रॉकलैण्ड इन्टरनेशनल स्कूल द्वारा खसरा नं०-162, ग्राम बहलोलपुर किला परीक्षितगढ़, तहसील मवाना जिला मेरठ में निर्मित शैक्षणिक भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्रश्नगत भवन की कम्प्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।
- 3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेन्सी इवैक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6-वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7-विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
- 9-उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अमन शर्मा)  
उपनिदेशक फायर सर्विस  
उप निदेशक उ० प्र०  
मेरठ / सहारनपुर परिक्षेत्र।

- प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मेरठ उ० प्र० को सादर सूचनार्थ।  
2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
3-अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।